प्रेस विज्ञप्ति
25.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने 20.06.2025 को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड (मेसर्स टीआरबीएल), इसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। अभियोजन शिकायत का संज्ञान माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दिनांकः 20.06.2025 को लिया गया है।

ईडी ने एसीबी-श्रीनगर, सीबीआई द्वारा आरपीसी की विभिन्न धाराओं 120-बी और 420 तथा जेकेपीसी की धारा 5(1) (डी) के साथ धारा 5(2) के तहत अपराध करने के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो जीएडी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा मेसर्स ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, मेसर्स रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अज्ञात लोक सेवकों तथा निजी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के विरुद्ध थी।

ईडी की जांच के दौरान, यह पता चला कि वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार ने जानबूझकर जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य योजना के डिजाइन, निविदा जारी करने और कार्यान्वयन के लिए मध्यस्थ (यानी बीमा दलाल) की नियुक्ति के लिए निविदा प्रदान की, जो आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा किए बिना संदिग्ध या संदिग्ध चयन/शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया द्वारा मेसर्स टीआरबीएल को दी गई थी। इसके अलावा, आईआरडीएआई पंजीकृत बीमा कंपनी की नियुक्ति के लिए निविदा मेसर्स टीआरबीएल के माध्यम से उक्त बीमा कंपनी को दी गई थी, जिसे पहले से ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता मानदंडों को संशोधित और हटाकर ब्लैकलिस्ट किया गया था, जबकि उक्त कंपनी की जम्मू-कश्मीर राज्य में कम उपस्थिति थी और निर्धारित अवधि के दौरान न्यूनतम अनुभव था, जैसा कि उक्त निविदा की आवश्यकता के अनुसार था। इस तरह, उपरोक्त कंपनियों को धोखाधड़ी से 63.53 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

इस मामले में ईडी ने पहले मेसर्स ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड (मेसर्स टीआरबीएल) और अन्य की 36.57 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां जब्त की थीं।

आगे की जांच जारी है।